

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपील की अधिकारिता

आपराधिक अपील सं. 759 सन् 2019

(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं. 4820/2017 से उद्धृत)

विक्रम जोहर

...अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

...प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति, अशोक भूषण

1. अनुमति प्रदान की गयी।

2. यह अपील माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांकित 06.02.2017 को चुनौती देते हुए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा, प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल की गयी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 सपठित धारा 245 के अन्तर्गत उसके उन्मोचन आवेदन को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 व 506 के अन्तर्गत परिवाद संख्या 483/2013 में अस्वीकृत करते हुए पारित आदेश दिनांकित 29.11.2016 को चुनौती देते हुए दाखिल किया गया था।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

3. वाद के संक्षिप्त तथ्य, जिनका इस अपील को निर्णीत करने के लिए उल्लेख किया जाना आवश्यक है:—

- 3.1 प्रत्यर्थी संख्या 2( एतस्मिनपश्चात् “वादी” के रूप में उल्लेखित), लकड़ी प्रसंस्करण व विक्रय में लगी मैसर्स राम कम्पनी का एक भागीदार था। कम्पनी का अपना भवन कोसीकला, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में था।
- 3.2 दिनांक 18.12.2010 को सुबह 3 बजे मैसर्स राम कम्पनी के परिसर में आग लग गयी। अग्निशामक दल और पुलिस को सूचित किया गया, जो घटनास्थल पर पहुँचे और कुछ घंटों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने का कारण बिजली केबल में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होना पाया गया। आग ने भण्डार, संयन्त्र व उपकरण और भवन को नुकसान पहुँचाया। मैसर्स राम कम्पनी ने एक स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी मैसर्स यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड से लिया था। मैसर्स राम कम्पनी ने दिनांक 20.10.2010 को बीमा दावा प्रस्तुत किया। कंपनी द्वारा किया गया कुल दावा 3,62,45,114 रुपये का था। यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड (एतस्मिनपश्चात् “इन्श्योरेन्स कंपनी” के रूप में उल्लेखित) ने अपीलार्थी मैसर्स प्रोटोकॉल सर्वेयर और इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया, जो इन्श्योरेन्स नियामक और विकास प्राधिकारी द्वारा एक प्रामाणिक सर्वेक्षक है। अपीलार्थी मैसर्स प्रोटोकॉल सर्वेयर और इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक होने से कंपनी के बीमा दावे का सर्वेक्षण किया।
- 3.3 अपीलार्थी ने सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से दिनांक 04.04.2011 को कोसीकला, जिला मथुरा के परिसर को देखा। ज्वाइंट निरीक्षण नोट दिनांक 04.04.2011 को तैयार किया गया, जिसके लिए कंपनी से विभिन्न दस्तावेज मांगे गये। विविध लिखा पढ़ी के बाद, अपीलार्थी ने दिनांक 23.09.2011 को अन्तिम सर्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक 23.09.2011 को प्रस्तुत की। मैसर्स राम कम्पनी ने दिनांक 15.07.2011 और 22.07.2011 को सर्वेक्षक को पत्र लिखा, जिसका सर्वेक्षक द्वारा दिनांक 23.07.2011 को

#### उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

सम्यक रूप से उत्तर दिया। मैसर्स राम कम्पनी ने बीमा कंपनी को भी लिखा, जिसका बीमा कंपनी ने दिनांक 08.08.2011 को यह सूचित करते हुए जबाव दिया कि सर्वेक्षक को अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करने को कहा गया है।

- 3.4 मैसर्स राम कम्पनी ने दिनांक 11.09.2011 को बीमा कंपनी को 285.60 लाख रुपये की पॉलिसी धनराशि का भुगतान करने की प्रार्थना करते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया। उक्त पत्र में सर्वेक्षक के विरुद्ध कुछ शिकायतें भी की गयी थी। मैसर्स राम कम्पनी द्वारा पुनः दिनांक 19.09.2011 को बीमा कम्पनी को एक पत्र भेजा गया, जिसमें सर्वेक्षक के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे। सर्वेक्षक, अर्थात्, अपीलार्थी ने मामले के सभी पहलूओं को विस्तृत उल्लिखित करते हुए मैसर्स राम कम्पनी के दावे के सम्बन्ध में दिनांक 23.09.2011 को अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। सर्वेक्षण रिपोर्ट में अन्तिम प्रस्तर में, निम्नलिखित कहा गया था:—

“15) बीमाकर्ता का दायित्व

उपरोक्त के दृष्टिगत, यह स्थापित होता है कि

- (a) बीमाकृत ने भवन का अपना दावा दुर्व्यपदेशित किया है।
- (b) बीमाकृत ने संयन्त्र और उपकरण का अपना दावा दुर्व्यपदेशित किया है।
- (c) बीमाकृत ने भंडार मात्रा बढ़ाने के लिए झूठी घोषणा की थी।
- (d) बीमाकृत ने भंडार मूल्य घोषणा पर झूठी घोषणा की थी।

यह पॉलिसी दुर्व्यपदेशन, गलत वर्णन, या विशेष रूप से किसी सामग्री के गैर प्रकटीकरण के प्रसंग में शून्यकरणीय होगी।

यदि दावा किसी कपटपूर्ण के सम्बन्ध में है, या यदि कोई झूठी घोषणा की गयी है या उसका सहारा लिया गया है पालिसी के अन्तर्गत कोई लाभ प्राप्त करने के लिए बीमाकृत या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी के द्वारा यदि किसी

#### उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

कपटपूर्ण माध्यम या यन्त्र का प्रयोग किया गया है या यदि लाभ या हानि किसी जानबूझकर किये गये कार्य द्वारा या बीमाकृत की मौनानुकूलता से घटित हुआ है, इस पॉलिसी के अन्तर्गत सभी लाभ समपहरित कर लिये जायेंगे।

यह स्पष्ट है कि बीमाकृत के दुर्व्यपदेशन और झूठी घोषणा ने उपरोक्त दोनों बतायी गयी पॉलिसी शर्तों को भंग कर दिया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत, यह कि बीमा की अनुशीर्षक पालिसी के अन्तर्गत बिषय दावा स्वीकारयोग्य नहीं है।

यह रिपोर्ट बिना पक्षपात के प्रस्तुत की जा रही है और बीमा की पॉलिसी के नियमों व शर्तों का विषय है।

हस्ताक्षरित

प्रोटोकॉल सर्वेक्षक और इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड”

- 3.5 प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात्, वादी ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 383, 384, 471, 504 व 506 के अन्तर्गत अपराध का आरोप लगाते हुए दिनांक 14.11.2011 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया। परिवाद में अपीलार्थी के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि वह दो या तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ, जिसमें से एक रिवॉल्वर लिया हुआ था, दिनांक 02.10.2011 को शाम के 7 बजे वादी के घर आया और उसे गन्दी गालियाँ दी और उस पर हमला करने वाला था, जब कुछ पड़ोसी वहाँ पहुँचे, अपीलार्थी और दो या तीन अन्य अज्ञात व्यक्ति मौके से अपनी गाड़ी से भाग गये। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांकित 14.11.2011 पर, मजिस्ट्रेट के आदेश पर, दिनांक 24.11.2011 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 367/2011 अन्तर्गत धारा 383, 384, 471, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। बीमा कंपनी ने दिनांक 12.12.2011 के पत्र द्वारा मैसर्स राम कम्पनी के दावे को नामंजूर कर दिया। उक्त पत्र के प्रस्तर सं. 3, 4, और 5 निम्नलिखित प्रभाव के हैं:-

#### उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

“3. यह कि इस दावे के सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने की अवधि के दौरान, सर्वेक्षक का सम्पूर्ण रुझान और आचरण संतोषजनक पाया गया।

4. यह कि उक्त सर्वेक्षक ने अपनी अन्तिम सर्वेक्षण रिपोर्ट सं. 2010-DEC-131 दिनांकित 23 सितम्बर 2011 की एक प्रति इस कार्यालय को 27 सितम्बर 2011 को प्रस्तुत की।

5. यह कि प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट के परीक्षण और हमारे प्रमुख कार्यालय की तकनीकी टीम से सलाह से, हमने उपरोक्त दावे को हमारे पत्र सन्दर्भ सं. VKJ:RK:FC:2011: 235:11 दिनांकित 06.12.2011 के द्वारा नामंजूर किया है।”

- 3.6 विवेचक ने अपीलार्थी को भी बुलाते हुए अन्वेषण किया और क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्लोजर रिपोर्ट में, विवेचक ने यह बताया कि विक्रम सिंह (अपीलार्थी) के मोबाइल की लोकेशन और कॉल विवरण के अनुसार, दिनांक 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक उसके मोबाइल का कोई रॉमिंग नहीं था और उसकी लोकेशन एन.सी.आर. क्षेत्र में थी। कुछ व्यक्तियों के बयानों को दर्ज करने के बाद, विवेचक ने अन्तिम प्रारूप, क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के विरुद्ध, वादी द्वारा एक विरोध याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल की गयी, जिन्होंने दिनांक 18.05.2012 के आदेश द्वारा विरोध याचिका स्वीकर की और अपराध सं. 448 सन् 2011 में पुनः विवेचना को निर्देशित किया। पुनः विवेचना भी अन्य विवेचक द्वारा की गयी, जिसने दोबारा अन्तिम आख्या यह मत व्यक्त करते हुए प्रस्तुत की कि कोई अपराध नहीं किया गया है। पुनः, एक विरोध याचिका दाखिल की गयी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांकित 21.12.2012 के आदेश द्वारा अवधारित किया कि आगे विवेचना की कोई आवश्यकता नहीं है और वाद को परिवाद के रूप में विचारण करना और निस्तारित करना न्यायोचित होगा। परिवादी का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अन्तर्गत दर्ज किया गया। वादी ने पी.डब्ल्यू.1- गणेश शर्मा और पी. डब्ल्यू.2- रूप सिंह उर्फ मुन्ना का भी बयान दर्ज कराया।

### **उद्घोषणा**

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

3.7 मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 और 506 के अन्तर्गत दिनांकित 07.02.2014 के आदेश द्वारा समन किया। दिनांकित 07.02.2014 के आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत एक आवेदन दाखिल किया गया, जिस आवेदन को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 30.07.2014 आदेश द्वारा निस्तारित कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदन अन्तर्गत धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता को निस्तारित करते हुए यह अवलोकन किया कि उस परिस्थिति में, जब अपीलार्थी द्वारा 30 दिनों के अन्दर उन्मोचन प्रार्थना पत्र डाला गया है, यह अपेक्षित है कि इसे तर्क और मौखिक आदेश द्वारा विचारित और निर्णीत किया जायेगा और गुण दोष पर आवेदन के निस्तारण तक, अपीलार्थी के विरुद्ध कोई विपरीत कार्यवाही नहीं की जाएगी।

3.8 आवेदक द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 सपठित धारा 245 के अन्तर्गत प्रार्थना करते हुए एक आवेदन दाखिल किया गया कि अपीलार्थी उन्मोचित किया जाये। धारा 239 और 245 के अन्तर्गत आवेदन में, दावे का विवरण, विभिन्न रिपोर्ट और बीमा कंपनी द्वारा विचारण को बताया गया। अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांकित 29.11.2016 के अपने आदेश द्वारा उन्मोचन के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गयी, जिसको दिनांक 06.02.2017 को खारिज कर दिया गया है। उपरोक्त आदेश द्वारा व्यथित होने से यह अपील दाखिल की गयी है।

4. इस अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद और कुछ नहीं बल्कि अपीलार्थी को उत्पीड़ित करने के लिए कार्यवाही थी। अपीलार्थी, जो कंपनी के अग्रि दावे के सम्बन्ध में विपरीत रिपोर्ट देने वाला सर्वेक्षक था, वादी ने चिढ़कर और अपीलार्थी को सबक सीखाने के लिए परिवाद दाखिल किया है। यह तर्क दिया गया है कि घटना दिनांक 02.10.2011 को बतायी गयी है जब अपीलार्थी को उसके घर पर आने

#### **उद्घोषणा**

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"*

और उसको धमकाने का दावा किया गया है जबकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद दिनांक 14.11.2011 को दाखिल किया गया अर्थात् एक माह और बारह दिन से ज्यादा समय के बाद, जो स्वयंमेव दर्शित करता है कि सम्पूर्ण कहानी अपीलार्थी को उत्पीड़ित करने के गढ़ी गयी। यह तर्क दिया गया है कि पुलिस ने दो बार विवेचना के उपरान्त कोई अपराध नहीं किया गया होना पाया है और क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत किया। यह कहा गया है कि परिवाद को पढ़ने पर धारा 504 और 506 के अन्तर्गत अपराध के आवश्यक तत्व नहीं बनते हैं और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्मोचन याचिका को अस्वीकृत करते हुए त्रुटि कारित की। माननीय उच्च न्यायालय ने भी परिवाद के आरोपों को ध्यान नहीं दिया और यह नोटिस करने में असफल हुए कि धारा 504 और 506 के अन्तर्गत अपराध के आवश्यक तत्व नहीं बनते हैं।

5. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के तर्कों का खण्डन किया है और यह कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपीलार्थी को समन की प्रक्रिया जारी करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी और अपीलार्थी को अपराध से उन्मोचित करने के लिए कोई आधार नहीं था। परिवाद में लगाया गये आरोप धारा 504 और 506 के अन्तर्गत एक वाद बनाते हैं और उन्मोचन आवेदन को अस्वीकृत करते हुए विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कोई गलती नहीं की गयी है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भी अवलम्बित हुए हैं, जो तर्कों पर विचार करते समय विस्तृत में सन्दर्भित किए जाएँगे।

7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विचार में लिया है और अभिलेखों का परिशीलन किया है।

8. इस अपील में इस प्रश्न पर विचार करना और उत्तर देना है कि क्या वर्तमान मामले में अपीलार्थी धारा 504 और 506 के अन्तर्गत अपराध से उन्मोचित होने का अधिकारी था और क्या अधीनस्थ न्यायालयों ने उन्मोचन आवेदन को अस्वीकृत करते हुए गलती कारित की।

9. हमने उन तथ्यों और घटनाओं के क्रम पर विचार किया है, जिसने वादों को अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 156(3) के अन्तर्गत आवेदन को दाखिल करने के लिए बाध्य किया। वर्तमान

#### **उद्घोषणा**

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"*

मामलें में, दिनांक 18.12.2010 के आग की घटना के सम्बन्ध में वादी के बीमा दावे से सम्बन्धित वादी के दावे के गुण दोष पर हमारा सरोकार नहीं है। हमारा विचार केवल उसी प्रश्न तक सीमित है कि क्या अपीलार्थी को धारा 504 और 506 भा.द.सं. के अन्तर्गत उन्मोचन करने का वाद बनता है।

10. उपरोक्त उल्लेखनीय तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की भूमिका केवल सर्वेक्षण करने के लिए बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक की थी और घटना दिनांकित 18.12.2010 के सम्बन्ध में वादी द्वारा कथित अग्नि बीमा दावे पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, जो उसकी कंपनी के परिसर कोसीकला, जिला मथुरा में हुई थी।

11. अपीलार्थी सैक्टर-7, नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स प्रोटोकॉल सर्वेयर्स और इंजीनियर्स प्रा.लि. का निदेशक है। अपीलार्थी ने कोसीकला परिसर को देखा और दिनांक 04.04.2011 को ज्वाइंट निरीक्षण किया। परिवादी द्वारा अपीलार्थी के साथ ही साथ बीमा कंपनी से विभिन्न पत्राचार किये गये। पत्र दिनांकित 11.09.2011 में, अपीलार्थी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये गये थे और मैसर्स राम कम्पनी द्वारा भेजे गये पत्र दिनांकित 19.09.2011 में पहली बार अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे कि अपीलार्थी ने अन्तिम सर्वेक्षण के लिए धन की मांग की है, अन्तिम सर्वेक्षण रिपोर्ट को अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.09.2011 को प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 27.09.2011 को बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया।

12. हमने ऊपर नोटिस किया है कि अपीलार्थी द्वारा तैयार अन्तिम सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुशंसा में मिथ्यादुर्व्यपदेशन और झूठी घोषणा के कारण, जो कि पालिसी शर्तों का उल्लंघन है, दावे को नामंजूर किया गया है। अपीलार्थी के विरुद्ध कथित घटना दिनांक 02.10.2011 की है, अर्थात्, अन्तिम सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुति के तुरन्त बाद। यह केवल अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.09.2011 को अन्तिम सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रस्तुति के बाद था जो दिनांक 27.09.2011 को प्राप्त हुआ यह कि अपीलार्थी को घटना दिनांकित 02.10.2011 के लिए आरोपित किया जिसमें वादी को धमकाने का अपीलार्थी पर आरोप लगाया। यह उल्लेखनीय है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अन्तर्गत आवेदन पहली बार दिनांक 14.11.2011 को दाखिल किया गया, जिसकी प्रतियां सलग्नक पी-9 के रूप में हैं। घटना दिनांकित 02.10.2011 के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विरुद्ध परिवाद में आरोप निम्नलिखित रूप में है:-

#### उद्घोषणा

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"*



“..... . जब परिवादी ने अभियुक्त सर्वेक्षक विक्रम जोहर को नहीं सुना, तो वह और 2-3 अन्य अज्ञात व्यक्ति, जिसमें से एक रिवॉल्वर पकड़े हुए था, जिनको वादी पहचान सकता है, वादी के घर दिनांक 02.10.201 को शाम 7 बजे आये और उसे भट्टी गालियाँ दी और उस पर हमला करने वाले थे। जब कुछ पड़ोसी वहाँ पहुँचे, तो सर्वेक्षक विक्रम जोहर और 2-3 अन्य अज्ञात व्यक्ति मौके से अपने वाहन से भाग गये। उन लोगो ने जिन्होंने वादी की जान बचायी, घटना को देखा है।”

13. विवेचक ने दो बार विवेचना की तथा क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिस पर विरोध याचिका दाखिल की गयी। विरोध याचिका पर, अन्ततः, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांकित 21.12.2012 द्वारा मामले को परिवाद के रूप में मानते हुए निर्णीत किया। परिवादी साथ ही साथ उसके गवाह न्यायालय में उपस्थित हुए और घटना दिनांकित 02.10.2011 का समर्थन किया।

14. हमारे वर्तमान मामले के तथ्यों के परीक्षण को आगे बढ़ने से पहले, हम उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर विचारण करते समय न्यायालय की शक्ति के विस्तार और कार्यक्षेत्र पर नोटिस कर सकते हैं।

15, **भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल और अन्य, (1979) 3 एससीसी 4** के वाद में इस न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 277 पर विचार किया था, जो कि उन्मोचन के आदेश को पारित करने के लिए विशेष न्यायाधीश की शक्ति है। धारा 227 को प्रस्तर सं. 7 में उल्लेखित करने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अवधारित किया:-

“7. XXXXXXXXX

शब्द “अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं” स्पष्ट बताता है कि अभियोजन पक्ष के इशारे पर आरोप तय करने के लिए न्यायाधीश मात्र एक डाकघर नहीं है, बल्कि आदेश के निर्धारण के लिए, कि क्या अभियोजन द्वारा विचारण के लिए वाद बनाया गया है, वाद के तथ्यों पर अपनी न्यायिक बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इस तथ्य के मूल्यांकन के लिए, न्यायालय के लिए मामले के पक्ष व विपक्ष में प्रवेश करना और साक्ष्यों व संभावनाओं को तोलना व संतुलित करना आवश्यक नहीं हैं जो वास्तव में जाँच शुरू होने के बाद उसका कार्य होता है। धारा 227 के प्रक्रम पर, न्यायाधीश को केवल यह पता लगाने के लिए साक्ष्यों को

### उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

जाँचना है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। आधार की पर्याप्तता, पुलिस द्वारा दर्ज की गयी साक्ष्यों की प्रकृति और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों को अपने दायरे में लेगी जो प्रतीयमान करती है कि अभियुक्त के विरुद्ध संदिग्ध परिस्थितियां हैं ताकि उसके विरुद्ध आरोप तय किया जा सके।”

16. इस न्यायालय के हालिया वादों को विचार में लेने के बाद, प्रस्तर 10 में, निम्नलिखित सिद्धान्त नोटिस किए गए:—

“10. इस प्रकार, प्राधिकारियों के उपरोक्त उल्लिखित को ध्यान देने पर, निम्नलिखित सिद्धान्त प्रकट होते हैं:

- (1) यह कि संहिता की धारा 227 के अन्तर्गत आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार करते समय न्यायाधीश के पास निःसन्देह, यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्य को जाँचने और तोलने के लिए शक्ति है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
- (2) जहाँ न्यायालय के समक्ष रखे गयी सामग्री से अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर संदेह उत्पन्न होता है जिसको उचित रूप से स्पष्टीकृत नहीं किया गया है न्यायालय आरोप तय करने और कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः न्यायोचित होगा।
- (3) प्रथम दृष्टया मामले को निर्धारित करने का परीक्षण स्वभावतः प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और सार्वभौमिक अनुप्रयोग का एक नियम प्रतिपादित करना कठिन है। हालांकि सामान्यतः यदि दो विचार समान रूप से संभव हो और न्यायाधीश संतुष्ट है कि उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य कुछ संदेह उत्पन्न करते हुए लेकिन अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर सन्देह नहीं हैं, उसे अभियुक्त को उन्मोचित करने का अपना अधिकार पूरा तरह होगा।
- (4) यह कि संहिता की धारा 227 के अन्तर्गत अपनी अधिकारिता को प्रयोग करते हुए न्यायाधीश जो कि वर्तमान संहिता के अन्तर्गत वरिष्ठ और अनुभवी न्यायालय है, केवल अभियोजन के डाक घर या प्रवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता, बल्कि मामले की व्यापक संभावनाओं, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों का पूरा प्रभाव, मामले में उपस्थित कोई बुनियादी दुर्बलता इत्यादि पर विचार करना है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि न्यायाधीश को मामले के पक्ष व विपक्ष और साक्ष्य को तौलने में जाँच करते रहना चाहिए जैसे कि वह विचारण कर रहा था।”

17. उड़ीसा राज्य बनाम देबेन्द्र नाथ पाधि, (2005) 1 एससीसी 568, के वाद में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 277 के अन्तर्गत उन्मोचन पर विचार किया

#### उद्धोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

था, न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अभियुक्त को दीर्घकालीन उत्पीड़न से बचाने की दृष्टि से संहिता में धारा 277 को सम्मिलित किया गया जो एक लम्बे आपराधिक विचारण का एक आवश्यक सहवर्ती है। इसको अभियुक्तों को उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है जब विवेचना के बाद जुटायी गयी साक्ष्यिक सामग्री न्यूनतम विधिक आवश्यकताओं से कम होती है।

18. इस न्यायालय का अन्य निर्णय, जिसको सन्दर्भित किया जाना है **प्रियंका श्रीवास्तव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2015) 6 एससीसी 287** का है। उपरोक्त वाद में इस न्यायालय ने धारा 156(3) के दुष्प्रयोग के क्षमता को उनको उत्पीड़ित करने के लिए, जिन्हें विभिन्न संवैधानिक कार्यों को सौंपा गया है, पर विचार किया है। इस न्यायालय ने, वास्तव में, यह अवलोकन किया है कि धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आवेदन को शपथ पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए ताकि आरोप लगाने वाले व्यक्ति परिवाद में कही गयी बातों की जिम्मेदारी ले। प्रस्तर सं. 30, में निम्नलिखित अवधारित किया गया है:—

“30. हमारे सुविचारित मत में, इस देश में चरण आ गया है जहाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अन्तर्गत आवेदनों को आवेदक द्वारा शपथ एक शपथपत्र द्वारा समर्थित किया हो जो मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की प्रार्थना करता हो। इसके अलावा, एक उपयुक्त मामले में, विद्वान मजिस्ट्रेट को सच्चाई को सत्यापित करने की अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी और आरोपों की सत्यता की भी पुष्टी कर सकते हैं। यह शपथपत्र आवेदक को ज्यादा जिम्मेदार बना सकता है। हम ऐसा कहने को बाध्य हुए हैं क्योंकि इस प्रकार के आवेदन नियमित चर्या में केवल कुछ व्यक्तियों को उत्पीड़ित करने के लिए, बिना कोई जिम्मेदारी लिए दाखिल किए जाते रहें हैं। इसके अलावा, यह ज्यादा परेशान करने वाला और खतरनाक हो जाता है जब कोई ऐसे लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है जो एक वैधानिक प्रावधान के अन्तर्गत आदेश पारित कर रहे हैं जिन्हें उक्त अधिनियम की संरचना के अन्तर्गत या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत चुनौती दी जा सकती है। लेकिन यह आपराधिक न्यायालय में अनुचित लाभ लेने के लिए नहीं किया जा सकता है जैसे कि किसी ने हिसाब बराबर करना निर्धारित किया है।”

### उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

19. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उन्मोचन प्रार्थना पत्र को विचार में लेते समय, न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए कि क्या विचारण के लिए मामला बनता है या नहीं, अपनी न्यायिक बुद्धि का प्रयोग करना है। यह सत्य है कि इस प्रकार की कार्यवाही में, न्यायालय साक्ष्य को क्रमबद्ध करके लघु विचारण करने के लिए नहीं होता।

20. न्यायालय द्वारा उन्मोचने के समय प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता की प्रकृति को उल्लेखित करने के बाद, अब हम वापस वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हैं, जहाँ परिवाद के आरोप को प्रत्यक्षतः सही मानकर, क्या धारा 504 और 506 के अन्तर्गत अपराध बनता है, यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर दिया जाना है।

21. हमें विवाद को समझने के लिए धारा 503, 504 और 506 को देखने की आवश्यकता है, जो विचार के लिए आयें हैं, जो निम्नलिखित प्रभाव के हैं:-

**“503. आपराधिक अभित्रास.-** जो कोई किसी अन्य व्यक्ति शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो या कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए, या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, यह किसी ऐसे कार्य को करने का लौप कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है।

स्पष्टीकरण.-किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति, जिसे धमकी दी गई है, हितबद्ध हो इस धारा के अन्तर्गत आता है।

**504. लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान.-**जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, यह दोने में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

### उद्धोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

**506. आपराधिक अभिवास के लिए दण्ड.-** जो कोई आपराधिक अभिवास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

**यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो.-** तथा यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की, या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मृत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की, या किसी स्त्री पर अस्तित्व का लांछन लगाने की हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।”

22. **फिओना श्रीखण्डे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2013) 14 एसीसी 44** के बाद में इस न्यायालय के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 विचार के लिए आया। उक्त वाद में, इस न्यायालय के पास धारा 504 के आवश्यक तत्व का परीक्षण करने का अवसर था, जिसे वाद के विचारण की कार्यवाही से पहले आना आवश्यक है। न्यायालय ने अवधारित किया कि उक्त वाद में, आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल करके आदेश जारी करने की प्रक्रिया को चुनौती दी गयी। इस न्यायालय ने अवधारित किया कि परिवाद के चरण पर, मजिस्ट्रेट का सरोकार मात्र परिवाद में लगाये गये आरोपों से है और केवल प्रथम दृष्टतया संतुष्ट होना है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं। प्रस्तर संख्या 11 में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किए गये हैं:-

“11. वर्तमान वाद में, हमारा सरोकार केवल इस प्रश्न से है कि क्या, परिवाद को पढ़ने पर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जारी करने का प्रथम दृष्टतया मामला बनता है या नहीं। आपराधिक मामलों में प्रक्रिया के जारी करने के सम्बन्ध में विधि पूर्णतः स्थापित है। परिवाद स्तर पर, मजिस्ट्रेट मात्र परिवाद में लगाये गये आरोपों से सम्बन्धित है और केवल प्रथम दृष्टतया संतुष्ट होना है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और वाद के गुणों और अवगुणों पर विस्तृत विमर्श करना मजिस्ट्रेट का कार्यक्षेत्र नहीं है। धारा 202 के अन्तर्गत जाँच का क्षेत्र इस अर्थ में अत्यधिक सीमित है कि मजिस्ट्रेट से, इस स्तर पर, परिवाद में लगाये गये आरोपों की सत्यता या असत्यता

### उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

का प्रथम दृष्टतया परीक्षण करना अपेक्षित है। मजिस्ट्रेट से वाद के गुणों या अवगुणों की विस्तृत चर्चा आरंभ करना अपेक्षित नहीं है, बल्कि केवल परिवाद में किए गए बयान में अन्तर्निहित प्रत्यक्ष संभावनाओं पर विचार करना है। नगव्वा बनाम वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोनजल्ली, (1976) 3 एससीसी 736 के वाद में, इस न्यायालय ने अवधारित किया कि एकबार मजिस्ट्रेट यह मत बनाने में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर लेता है कि कार्यवाही करने के लिए आधार हैं, तो उच्चतर न्यायालय का कार्य अपने स्वयं के विवेकाधिकार को मजिस्ट्रेट से प्रतिस्थापित करना नहीं है। मजिस्ट्रेट को सभी प्रतिरक्षा को ध्यान दिए बिना जो अभियुक्त को हो सकती है, परिवाद के दृष्टिकोण से प्रश्न को विशुद्धतः निर्णीत करना है।”

23. इस न्यायालय ने निर्णय के प्रस्तर संख्या 13 में धारा 504 के आवश्यक तत्वों को उल्लेखित किया है, जो निम्नलिखित प्रभाव की है:-

“13. धारा 504 निम्नलिखित आवश्यक तत्वों को सम्मिलित करती है यथा (a) साशय अपमान, (b) अपमान इस प्रकार का होना चाहिए जो अपमानित व्यक्ति को प्रकोपित करता हो, और (c) अभियुक्त का आशय या यह जानता हो कि ऐसे प्रकोपन से अन्य लोक शांति भंग कर देगा या कोई अन्य अपराध कारित करेगा। साशय अपमान इस मात्रा का होना चाहिए जो एक व्यक्ति को लोक शांति भंग को या कोई अन्य अपराध कारित करने को प्रकोपित कर दें। व्यक्ति जो साशय अपमान इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि यह किसी अन्य व्यक्ति प्रकोपित करेगा और ऐसा प्रकोपन लोक शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, इस परिस्थित में, धारा 504 के आवश्यक तत्व संतुष्ट होते हैं। अपराध को निर्मित करने का एक आवश्यक तत्व यह है कि एक कार्य या आचरण साशय अपमान की मात्रा तक होना चाहिए और केवल यह तथ्य कि अभियुक्त ने परिवादी को प्रताड़ित किया, धारा 504 के अन्तर्गत दोषसिद्धि साबित के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है।”

24. मानिक तनेजा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, (2015) 7 एससीसी 423, के अन्य निर्णय में, इस न्यायालय के पास धारा 503 और 506 के आवश्यक तत्व के परीक्षण का पुनः अवसर था। उक्त वाद में भी, धारा 353 और धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के

#### उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

अन्तर्गत अपराध के लिए वाद दर्ज किया गया। धारा 503 को उल्लेखित करने के बाद, जो आपराधिक अभित्रास को परिभाषित करता है, इस न्यायालय ने प्रस्तर संख्या 11 और 12 में निम्नलिखित प्रतिपादित किया:-

“11. XXXXXXXXXXXXXXX

“आपराधिक अभित्रास” की परिभाषा को पढ़ने पर यह दर्शित करता है कि किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को, या ऐसे व्यक्ति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो कोई क्षति कारित करने की धमकी देने का कोई कार्य होना चाहिए और धमकी धमकाये गये व्यक्ति को संत्रास कारित के आशय से होनी चाहिए और इसे कोई कार्य जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, के रूप में होना चाहिए।

12. प्रस्तुत मामले में, यह आरोप है कि अपीलार्थियों ने परिवादी को गालियाँ दी हैं और दूसरे प्रत्यर्थी को अपने लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुँचायी और दूसरे प्रत्यर्थी की निष्ठा को ठेस पहुँचायी। अभियुक्त का आशय जिसको यह निर्णीत करने के लिए विचार किया जाना है कि क्या जो उसने कहा “आपराधिक अभित्रास” की परिभाषा में आता है। धमकी किसी कार्य को करने या लोप करने के लिए संत्रास कारित करने के आशय से की जानी चाहिए। संत्रास कारित करने के आशय के बिना किन्हीं शब्दों की मात्र अभिव्यक्ति इस धारा की प्रयोज्यता के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर सामग्री रखी जानी चाहिए कि परिवादी को संत्रास कारित करने के लिए आशय है। वाद के तथ्यों और परिस्थितियों से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी की ओर से दूसरे प्रत्यर्थी के मस्तिष्क में उसके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा पहुँचाने का संत्रास कारित का आशय नहीं था। जहाँ तक फेसबुक पर टिप्पणी डालने का सम्बन्ध है, यह दर्शित होता है कि यह लोक की सहायता करने के लिए लोक मंच है और अपीलार्थियों का फेसबुक पर टिप्पणी डालने का कार्य, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 503 में आपराधिक अभित्रास के आवश्यक तत्व को आकर्षित नहीं करता।”

**उद्घोषणा**

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

25. उपरोक्त वाद में, यह आरोप था कि अपीलार्थी ने परिवादी को गालियाँ दी थीं। न्यायालय ने अवधारित किया कि मात्र यह तथ्य कि यह आरोप कि अभियुक्त ने परिवादी को गालियाँ दी थीं, धारा 506 के आवश्यक तत्वों को संतुष्ट नहीं करते हैं।

26. अब, हम अपीलार्थी के विरुद्ध परिवाद में लगाये गये आरोपों पर वापस आते हैं। यह आरोप कि अपीलार्थी दो या तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ, जिसमें से एक ने रिवॉल्वर पकड़े हुए था, परिवादी के घर आया और उसे भद्दी गालियाँ दी और उस पर हमला करने का प्रयास किया और जब कुछ पड़ोसी वहाँ पहुँचे तो अपीलार्थी और उसके साथ अन्य व्यक्ति मौके से भाग गये। उपरोक्त आरोपों के प्राथमिक मूल्यांकन पर धारा 504 और 506 के आवश्यक तत्व जैसे कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त दो निर्णयों में बताये गये, संतुष्ट नहीं होते हैं। साशय अपमान इस मात्रा तक होना चाहिए कि यह एक व्यक्ति को लोक शांति भंग करने या कोई अन्य अपराध कारित करने को प्रकोपित करे। मात्र यह आरोप कि अपीलार्थी आया और परिवादी को गालियाँ दी, आवश्यक तत्वों को संतुष्ट नहीं करता है जैसा कि **फिओना श्रीखंडे (उपरोक्त)** में इस न्यायालय के निर्णय के प्रस्तर 13 में प्रतिपादित किया गया।

27. अब, धारा 506 पर वापस आने पर, जो कि आपराधिक अभित्रास का अपराध है, **फिओना श्रीखण्डे (उपरोक्त)** द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धान्त को भी लागू किया जाना चाहिए जब यह पता लगाने का प्रश्न हो कि क्या अपराध के आवश्यक तत्व बनते हैं या नहीं। यहाँ, केवल यह आरोप है कि अपीलार्थी ने परिवादी को गाली दी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अन्तर्गत अपराध को साबित करने के लिए, क्या आवश्यक तत्व हैं जिसे अभियोजन द्वारा साबित किया जाना है? अपराध को साबित करने के सम्बन्ध में **रतनलाल एण्ड धीरजलाल ऑन लॉ ऑफ क्राइम्स**, 27 वाँ संस्करण निम्नलिखित बताते हैं:-

“.... अभियोजन को साबित करना चाहिए:

(i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को धमकी दी।

(ii) यह कि ऐसी धमकी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति करने के लिए हो।

#### उद्धोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।



(iii) यह कि उसने ऐसा उस व्यक्ति को संत्रास कारित करने के आशय से, या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, किया हो।

परिवाद में आरोपो को साधारणतया पढ़ने पर उपरोक्त उल्लेखित सभी आवश्यक तत्व संतुष्ट नहीं होते हैं।

28. **फिओना श्रीखण्डे (उपरोक्त) और मानिक तनेजा (उपरोक्त)** में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त से, हम संतुष्ट हैं कि परिवादी द्वारा दाखिल किए गए परिवाद से धारा 504 और 506 के आवश्यक तत्व नहीं बनते हैं। जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अन्तर्गत परिवाद दाखिल किया गया, जो परिवाद प्रकरण के रूप में माना गया, धारा 504 और 506 के आवश्यक तत्व शामिल नहीं हैं, हमारा यह दृष्टिकोण है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दाखिल किया गया उन्मोचन के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए त्रुटि कारित की। वर्तमान वाद के तथ्यों से, हम इस दृष्टिकोण पर हैं कि अपीलार्थी धारा 504 और 506 के अन्तर्गत अपराध के लिए उन्मोचित होने का हकदार था।

29. इस प्रकार, फलस्वरूप, अपील स्वीकृत की जाती है। उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 06.02.2017 के साथ साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश दिनांकित 29.11.2016 अपास्त किये जाते हैं और अपीलार्थी धारा 504 और 506 के अन्तर्गत अपराध से उन्मोचित होता है।

.....  
( न्यायमूर्ति अशोक भूषण )

.....  
( न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ )

नई दिल्ली,

26 अप्रैल, 2019.

#### उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"